

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3058/2026

1. Randeep Singh S/o Ajit Singh, Aged About 30 Years, R/o Gurunanak Colony, Kachhi Basti, Bedwas Debari, Police Station Pratap Nagar, Udaipur, District Udaipur. (At Present Lodged At Central Jail, Jodhpur)
2. Deep Singh S/o Tirath Singh, Aged About 20 Years, R/o Behind Lodha Mayur Mill, Banswara, At Present Dungarpur Road, Behind Sidhi Vinayak Colony, P.m.awas Colony, Police Station Sadar Banswara, District Banswara. (At Present Lodged At Central Jail, Jodhpur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Gokulesh Bohra
For Respondent(s)	: Mr. Sameer Pareek, PP with Mr. Omprakash Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

1. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सरदारपुरा, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए), 331(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के खिलाफ इसी घटना से संबंधित एक अन्य मुकदमा दर्ज है। अन्य कोई मुकदमा प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन किया। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। केवल इस घटना से संबंधित एक अन्य मुकदमा दर्ज है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
7. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. रणदीपसिंह पुत्र अजीतसिंह तथा 2. दीपसिंह पुत्र तिस्थसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये के मुचलके एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J